बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

विभागीय आदेश ज्ञापांक 3357 दिनांक– 10.06.2014 द्वारा श्री किशोर कुमार सिन्हा, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, कटरा मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत को 5000/– (पाँच हजार) रूपये रिश्वत लेने के दोषी होने के प्रमाणित आरोप के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43बी0 के तहत वृहद दण्ड स्वरूप शत–प्रतिशत (100%) पेंशन रोकने का दण्ड संसूचित किया गया। उक्त विभागीय आदेश को रद्द करने हेतु श्री सिन्हा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में CWJC No. 10609/2014 दायर किया गया। समादेश याचिका संख्या– 10609/2014 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक– 04.09.2017 को पारित न्याय निर्णय में आदेश की कार्यकारी कंडिका निम्नवत् है :–

"Thus, the order dated 10.06.2014 as contained in Memo No. 3357 (Annexure-6) and the order dated 20.03.2014 contained in Memo No. 1957 are set aside. The matter is remitted to the disciplinary anuthority to proceed afresh in acordance with law. Accordingly, the writ petition is allowed."

2. चूँकि दिनांक– 04.09.2017 को समादेश याचिका संख्या– 10609/2014 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त न्याय निर्णय में श्री किशोर कुमार सिन्हा, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, कटरा मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत के शत–प्रतिशत (100%) पेंशन रोकने हेतु निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक 3357 दिनांक– 10.06.2014 एवं विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने हेतु निर्गत ज्ञापांक– 1957 दिनांक– 20.03.2014 को निरस्त किया गया है।

अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्याय निर्णय के अनुपालन के क्रम में विभागीय आदेश ज्ञापांक– 3357 दिनांक– 10.06.2014 एवं ज्ञाप ज्ञापांक– 1957 दिनांक– 20.03.2014 को निरस्त करते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43बी0 के तहत नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निदेश दिया जाता है।

3. श्री सिन्हा के विरूद्ध नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु पृथक रूप से ज्ञाप निर्गत किया जा रहा है।

24/5/18
(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र08 गो0वि0(मुजफ्फरपुर) -11/2010 2532 /खाद्य,पटना/दिनांक 25.05.18

प्रतिलिपि- महालेखाकार बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी 01, 03, 08 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/श्री किशोर कुमार सिन्हा, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, कटरा मुजफ्फरपुर, वर्तमान पता– चर्च के दक्षिण, मिठनपुरा, पो0- रामना, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर (बिहार) पिन कोड– 842002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, सिवान से अनुरोध है कि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक– 04.09.2017 को पारित आदेश (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में विधिसम्मत् अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

24/5/18
सरकार के सचिव।